<u>प्रेस नोट- दिनांक 26.06.2025</u>

मात्र 72 घण्टे के अन्दर सेवानिवृत्त आईएफएस से चेन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 04 सदस्यों को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार,

घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल, छीनी हुयी चेन, 02 अवैध तमंचे 315 बोर व 03 जिंदा एवं 02 खोखा कारतूस 315 बोर किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना इकदिल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनांक 22.06.2025 को सेवानिवृत्त आई0एफ0एस अधिकारी श्री कृष्ण सिंह भदौरिया पुत्र रघुवीर सिंह भदौरिया निवासी ग्राम बरैला थाना इकदिल जनपद इटावा द्वारा थाना इकदिल पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि समय करीब 11.45 बजे अपाचे मोटर साइकिल सवार 03 व्यक्तियों नें जिन्होंने सिर पर गमछे बांध रखे थे गाँव में आकर पता पूछने का बहाना बनाकर उनसे पानी माँगा एवं जैसे ही उनका भतीजा पानी लेने गया इसी दौरान मौका पाकर बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने झपट्टा मारकर उनकी चेन छीन ली तथा नारायण ढाबा एन0एच0-02 की तरफ भाग गये। सूचना पर तत्काल थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 182/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में थाना इकदिल पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना के सफल अनावरण हेतु एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना इकदिल से पुलिस टीमों का गठन किया गया।

<u>गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-</u>

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 25/26.06.2025 की रात्रि को एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना इकदिल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत मानिकपुर मोड़ पर भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि एक मोटर

साइकिल से 04 व्यक्ति चोरबरी की ओर से ग्वालियर बाईपास होते हुये भिण्ड की ओर जा रहे है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीमों द्वारा ग्वालियर बाईपास वाले तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जाने लगी, तभी चोरबरी की ओर से 01 मोटर साइकिल पर सवार 04 व्यक्ति आते दिखायी दिये जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार यमुना पुल की तरफ भागने लगे जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा करते हुये जरिये आरटीसेट द्वितीय पुलिस टीम को अवगत कराया गया। उक्त बाइक सवार स्वयं को पुलिस टीमों से घिरता देख मानिकपुर विशु गौशाला की तरफ तेजी से बाइक मोडने लगे एवं अनियंत्रित होकर गिर गये तथा पुलिस टीम पर फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो 01 गोली अभियुक्त कपिल तोमर पुत्र जयराम तोमर के बांये पैर में लगी जिसे घायल अवस्था में उपचार हेतु जिला अस्पताल इटावा भर्ती कराया गया एवं उसके अन्य 03 साथियों को घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित समय 02.35 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्तों से नाम पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 01 सोने की चेन(दो टुकड़ों में कुल वजन 17.370 ग्राम), 02 अवैध तमन्चा व 03 जिन्दा कारतूस एवं 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये।

बरामद सोने की चेन के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने दिनांक 22.06.2025 को थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत सेवानिवृत्त आई0एफ0एस से यह चेन लूटी थी । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 182/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है।

पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त अभयराज भदौरिया ने बताया कि मैने पैसो के लालच मे अपने साथी मोहित पुत्र शिवमोहन के साथ मिलकर अपने ताऊ श्रीकृष्ण सिंह जो रिटायर्ड आई.एफ.एस अधिकारी है। उनके गले से सोने कि चेन को छीनने की योजना बनायी जिस पर मोहित ने अपने दोस्त कपिल तोमर पुत्र जयराम तोमर व अन्य 02 साथियों को इसके बारे मे बताया और वह लोग भी घटना करने के लिए तैयार हो गये। ततपश्चात मैने विजय प्रताप उर्फ छोटू पुत्र महेन्द्र सिंह हिस्ट्रीशीटर - 26 B निवासी नगला छन्द थाना जसवंतनगर जनपद इटावा से तमंचा व कारतूस मंगाया। दिंनाक 21.06.2025 को कपिल अपने मित्र शिवदीप उर्फ

शिब्बू पुत्र खेत सिहं अपने साथियों के साथ नारायण ढावा पर आये तथा मैने मोहित व विजय के साथ नारायण ढावा पर के पास हाईवे पर तमंचा कपिल को दे दिया था और कहा कि तुम चेन छीन कर झपट्टा मारकर भाग जाना और यदि कोई बात होती है तो गोली मार देना, तथा एक तमंचा शिब्बू भी अपने साथ लिये था।

हम सभी ने एक राय होकर योजना के तहत ताऊ की चेन छीनने के मकसद से मै व विजय तथा मोहित, नारायण ढाबा से अपने घर की तरफ चले गये तथा कपिल तथा 02 अन्य साथी अपाचे मोटर साइकिल से व शिब्बू व 01 साथी दूसरी मोटर साइकिल से मेरे ताऊ के घर की तरफ चले गये।

कपिल व 02 अन्य साथियों ने ताऊ के घर के सामने जाकर मोटर साइकिल रोककर एक व्यक्ति के घर का पता पूछा तथा पीने के लिये पानी मांगा तो ताऊ ने अपने भतीजे को पानी लेने के लिये भेजा और इसी बीच तीनो लोग गले से सोने की जंजीर झपट्टा मारकर तोड कर मोटर साइकिल से भाग गये थे।

उक्त गिरफ्तारी, बरामदगी एवं पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 185/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 10/12 उ0प्र0 डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा मु0अ0सं0 182/2025 धारा 304(2) में धारा 317(2)/3(5)/61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.कपिल तोमर पुत्र जयराम तोमर निवासी बकसपुर थाना दिहुली जनपद धौलपुर राजस्थान हाल पता कस्बा व थाना फूप जनपद भिण्ड म0प्र0 उम्र 21 वर्ष। (घायल अभियुक्त)

2.शिवदीप सिंह उर्फ शिब्बू पुत्र खेत सिंह निवासी गांगूपुरा धुमरी थाना अलीगंज जनपद एटा हाल पता कस्बा थाना फूप जनपद भिण्ड म0प्र0 उम्र 20 वर्ष।

3.अभयराज भदौरिया उर्फ छोटू पुत्र महेन्द्रपाल सिंह भदौरिया निवासी ग्राम बरैला इब्राहिमपुर थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 21 वर्ष।

4.मोहित पुत्र शिवमोहन सिंह निवासी बाजूनगर थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष।

<u>पंजीकृत अभियोगः</u>

1.मु0अ0सं0 182/2025 धारा 304(2)/317(2)/3(5)/61(2) बीएनएस थाना इकदिल जनपद इटावा।

2.मु0अ0सं0 185/2025 धारा 109(1) बीएनएस, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 10/12 उ0प्र0 डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम थाना इकदिल जनपद इटावा।

<u>बरामदगीः-</u>

1.01 सोने की चेन (02 टुकडा) कुल वजन 17.370 ग्राम (छीनी हुयी)

2.01 अपाचे मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

3.02 अवैध तमंचा 315 बोर
4.03जिंदा कारतूस 315 बोर
5.02 खोखा कारतूस 315 बोर।
पुलिस टीमः-
प्रथम टीमः- उ0नि0 श्री बेचन कुमार सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम।
द्वितीय टीमः- निरी0 श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना इकदिल, उ0नि0 करनवीर सिंह, उ0नि0 रजनीश कुमार, हे0का0 धीरेन्द्र दुबे, का0 सचिन बाजपेई, का0 प्रभाकर त्रिपाठी, का0 सुमित, का0 सुभाष चन्द्र, का0 पंकज, का0 सुधीर,

पुलिस मीडिया सेल
जनपद इटावा।